पत्र–8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

– आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...गवारड़ी... भू.अ.नि. ...मेहन्दुलिया... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...रेलमगरा... नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ...कड़पचा... तहसील ...रेलमगरा... व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् ...2077... में खाता संख्या ...142... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कड़पचा	142	हमेरा पुत्र कालु भील, हिस्सा -1/12 M.A.S.B. उदयपुर धनेरिया	हमेरा पुत्र कालु भील हिस्सा -1/12 R.S.B. शाखा, उदयपुर धनेरिया

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

क्रमांक:– 375

दिनांक :– 16/10/25

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा